कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक 21 / 08 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 8.931 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/222/2015/ एफ0सी0 / 2088 दिनांक 14.03. 2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिकरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 535 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0आई0यू0–2 पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 222 / 2015 / एफ0सी0 / 2088

दिनांकः 14/03/2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11292/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1131/X-4-15/1(579)/2015 दिनांक 21.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11292/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 04.10.2016 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि के ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 17.862 है0 रडियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. राज्य सरकार द्वारा दी गई वचन बद्धता के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण में 40% बांज के पौधों का रोपण किया जाना आवश्यक होगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**

6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
7. The State Govt. will upload the revised documents submitted with the reply in online Part-I or make necessary corrections at designated places in online formats and also correct the density in Part-II online.

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए वाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
6. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव के अनुसार 40% बॉज वृक्षों का वृक्षारोपण, प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अर्न्तगत किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 586 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

डिजिटल मानचित्र – जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

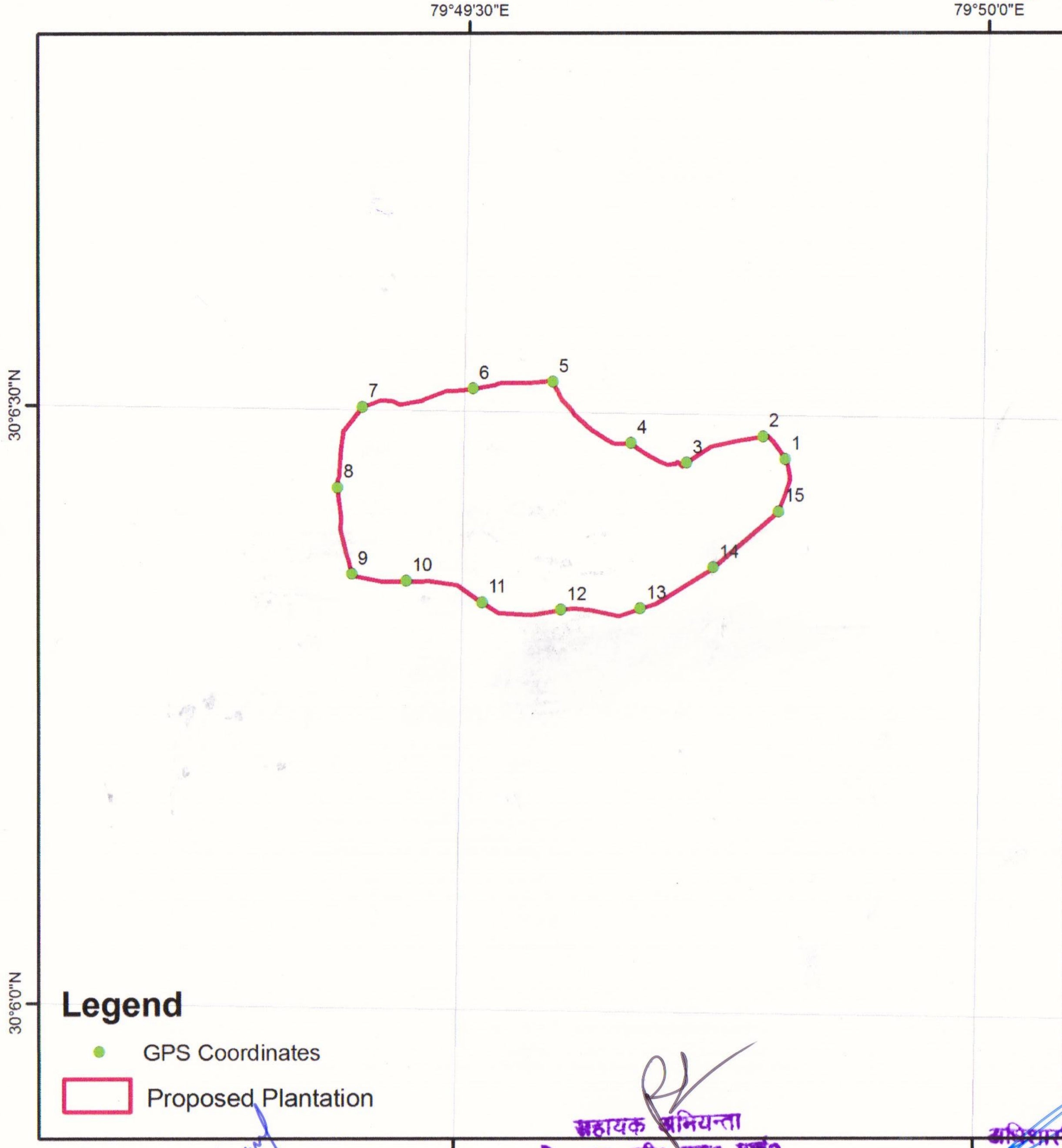

S.no.	Longitude	Latitude
1	79°49' 48.550" E	30°6' 27.802" N
2	79°49' 47.248" E	30°6' 28.922" N
3	79°49' 42.847" E	30°6' 27.540" N
4	79°49' 39.656" E	30°6' 28.499" N
5	79°49' 35.090" E	30°6' 31.511" N
6	79°49' 30.469" E	30°6' 31.109" N
7	79°49' 24.068" E	30°6' 30.115" N
8	79°49' 22.706" E	30°6' 26.056" N
9	79°49' 23.619" E	30°6' 21.729" N
10	79°49' 26.748" E	30°6' 21.423" N
11	79°49' 31.185" E	30°6' 20.403" N
12	79°49' 35.718" E	30°6' 20.081" N
13	79°49' 40.318" E	30°6' 20.205" N
14	79°49' 44.477" E	30°6' 22.319" N
15	79°49' 48.195" E	30°6' 25.170" N

79°49'30"E 79°50'0"E 79°50'30"E

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1.7

डिजिटल मैप :— जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित फरसाली से खर्ककानातोली मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

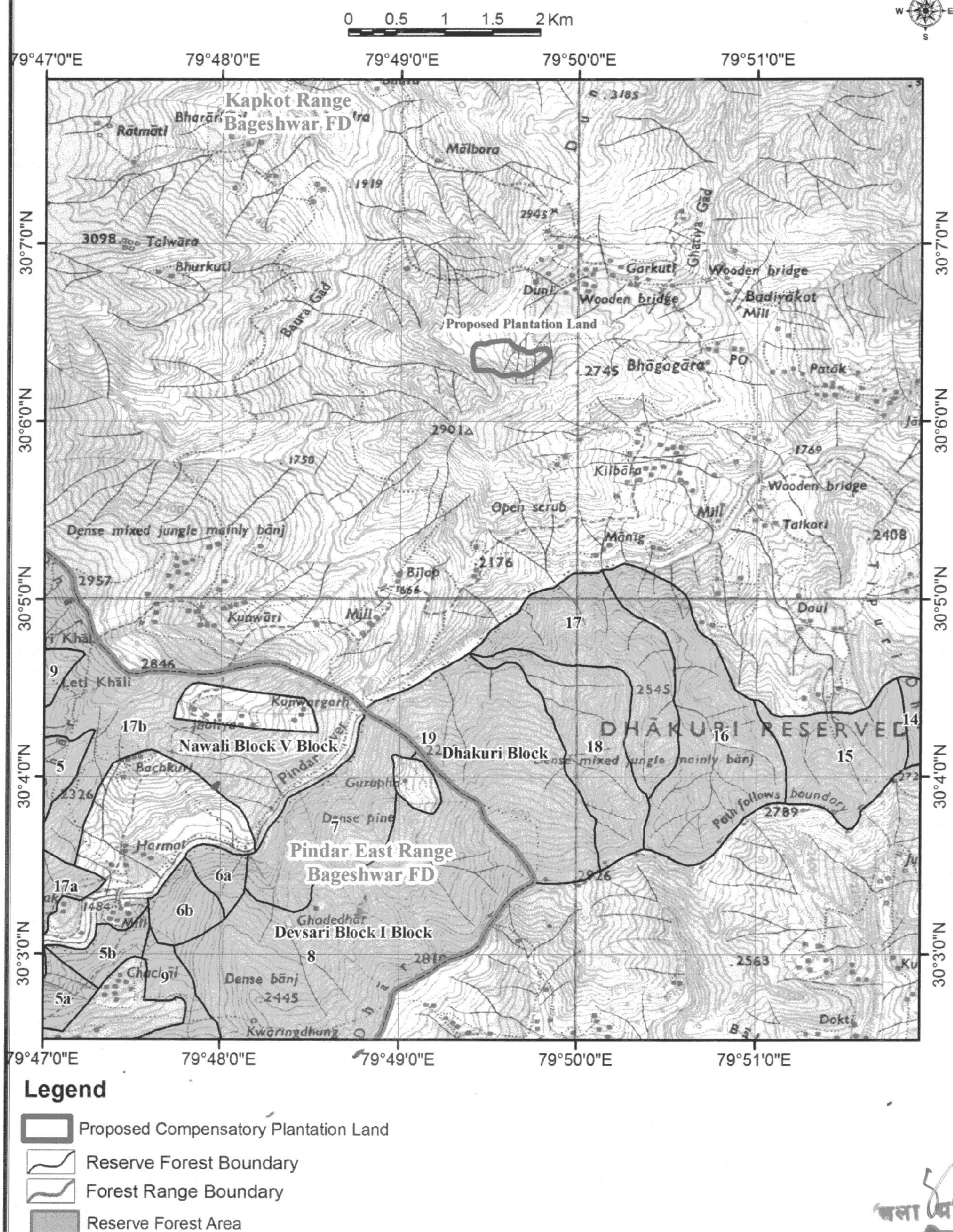

AAE

वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

(क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का क्षे० हे० में)

NZA नकल खतौनी ग्राम बादियाकोट

क्षेत्र बादियाकोट तहसील कपकोट

भूमि श्रेणी ६ (३) एवं (१) ईमारती लकड़ी के वन

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फ	खेत नं०	रकबा	लगान	विवरण
११०	जंगल		१४८	५"		
			१४९	२३१		
			१५(१५)	३६८'''		
			१४७६	१२८७'''		
			क्रमशः			
			५६९८	५५६'''	11.138 है०	
			५६९९	६१६	12.320 है०	
			५७००	५५३	11.064 है०	
			५७०१	११०	2.200 है०	
			५७०२	१६३'''	3.275 है०	
					39.997 है० में प्रस्तावित	
			क्रमशः		भूमि 39.356 है०	
					शेष 0.641 है०	
			८३०३	३		
			८३०४	११=		
			८३०५	२-		
		योग	३७८	५४०६१ =		

महोदय

① नामती से कफल्वाना मोटर मार्ग हेतु भूमि — 17.080 है०

② कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर से कापलीकसेड़ा मोटर मार्ग — 12.574 है०

③ वाछम से खाती मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि — 9.702 है०

39.356 है०

उपप्रभागीय वनाधिकारी

क्षेत्र ....

प्रभागीय वनाधिकारी

कपकोट

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग

पी० एम० जी० [illegible] वाई०

क्षेत्र--कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र–42

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेडा मोटर मार्ग निमार्ण (लम्बाई 11.250 कि0मी0) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण दस वर्षीय योजना

वृक्षारोपण स्थल का नामः – बदियाकोट सिविल

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफलः – 6.287 है0* 2 = 12.574 है0 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या – 2000 पौध प्रति है0

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	1	4	5	6	7
1.	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	71.50	है0	71.50
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	2384.00	है0	2384.00
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 95 घ0मी0 प्रति है0	1	है0	14171.40	है0	14171.40
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रह हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	2	सं0	1489.30	सं0	2978.60
5.	गड्ढा खुदान (030 x 030 x 045)	2000	गढ्ढे	5.00	गढ्ढे	10000.00
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	596.00	है0	596.00
7.	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	1500	पौध	4.60	है0	6900.00
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	.0500	है0	658.30	है0	329.15
9.	प्रवेश सीढ़ी	2	है0	189.00	है0	378.00
10.	जल संरक्षण कार्य	1.5	है0	5470.00	है0	8205.00
	प्रथम चरण का योगः–					**46013.65**

द्वितीय चरण

1.	गड्ढा भरान कार्य (030 x 030 x 045)	2000	गढ्ढे	0.90	गढ्ढे	1800.00
2.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 25प्रतिशत	500	पौध	5.10	पौध	2550.00
3.	पौध ढुलान कार्य	2000	पौध	3.30	पौध	6600.00
4.	पौधारोपण व थालाबन्दी	2000	पौध	1.80	पौध	3600.00
5.	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	2000	गढ्ढे	2.40	गढ्ढे	3850.00
6.	खाद व दवा पर व्यय	2000	गढ्ढे	0.60	गढ्ढे	1200.00
7.	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	2000	है0	3049.00	है0	3049.00
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	259.00	है0	259.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1	है0	259.00	है0	259.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना। अ – प्रशिक्षण	1	है0	365.00	है0	365.00
	ब – प्रोत्साहन	1	है0	198.00	है0	198.00
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार–प्रसार एवं डोक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	1-50	है0	764.50	है0	1146.75

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण नि[illegible] विभाग
पी0 एम0 [illegible] ई0

तृतीय चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12माह	1	है0	5300.00	है0	5300.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	644.00	है0	644.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	450.00	है0	450.00
	2. 3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों का अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना अ– प्रशिक्षण	1	है0	365.00	है0	365.00
	ब– प्रोत्साहन	1	है0	200.00	है0	200.00
						6959.00
	तृतीय चरण योग:–					

चतुर्थ चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
						7314.30
	चतुर्थ चरण योग:–					

पंचम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
						7314.30
	पंचम चरण योग:–					

षष्टम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
						7314.30
	षष्टम चरण योग:–					

सप्तम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
						7314.30
	सप्तम चरण योग:–					

अष्टम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
						7314.30
	अष्टम चरण योग:–					

नवम चरण

1.	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0 एम0 जी0 [illegible] वाई0

दशम चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	मत्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	5200.00	है0	5200.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	2114.00	है0	2114.00
	दशम चरण योगः—					**7314.30**

दशम वर्ष रखरखाव सहित व्यय का प्राकलन

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय
1-	प्रथम चरण	46013.65
2-	द्वितीय चरण	25826.75
3-	तृतीय चरण	6959.50
4-	चतुर्थ चरण	7314.30
5-	पंचम चरण	7314.30
6-	षष्टम चरण	7314.30
7-	सप्तम चरण	7314.30
8-	अष्टम चरण	7314.30
9-	नवम चरण	7314.30
10-	दशम चरण	7314.30
	कुल व्यय	**130000.00**

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 130000.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल = 6.287 है0 x 2 = 12.574 है0 ।

दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 12.574 x 130000.00 = 1,63,4620.00

वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
क्षेत्र--कपकोट (बागेश्वर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं0 : 05963—220249 फैक्स नं0 05963—220209

पत्रांक 406 / 12-1 बागेश्वर, दिनांक : 18/08/2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0आई0यू0—2
पी0एम0जी0एस0वाई0
कपकोट

विषय — जनपद बागेश्वर के अर्न्तगत फरसाली से खर्ककानातोली मो0 मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 143/व0भू0 दिनांक 10.08.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	8.931 है0	657000.00	58,67,667.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	17.862	2,53,332.00	45,25,016.18
				10392683.18

नोट—

उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक —596/3—5—2 दिनॉक 19.08.2015 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2017—18 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-10-2017

Agency Name.	**PMGSY**
Application No.	**113112922015066**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/222/2015**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**RES PMGSY KapkotBageshwar**
Amount(in Rs)	**10392683.18/-**

Amount in Words :One Crore Three Lakh Ninety-Two Thousand Six Hundred and Eighty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508911311292201506** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 05-10-2017

Agency Name.	**PMGSY**
Application No.	**113112922015066**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/222/2015**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**RES PMGSY Kapkot Bageshwar**
Amount(in Rs)	**10392683.18/-**

Amount in Words :One Crore Three Lakh Ninety-Two Thousand Six Hundred and Eighty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**1508911311292201506** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्र्तगत पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.287 हे0 वन भूमि की दुगुनी अवनत भूमि 12.574 हे0 भूमि जो ग्राम बदियाकोट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी के खाता संख्या–110 के श्रेणी 9(3) ख (1) इमारती लकड़ी के जंगल के पैमाईसी खेत नम्बर 4306 रकवा 29.250 हे0 मध्ये 12.574 हे0 भूमि प्रस्तावित है, को शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II) 2012–18 (120)/2010 दिनाक 17 दिसम्बर,2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या– 08बी0/ यू0सी0पी0/06/97/2017/एफ0सी0/267/दिनाक 11.05.2018 में दी गयी व्यवस्था /शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या– 501 /छब्बीस– 02 वन/ 2019–20 दिनाक 22 फरवरी वरी 2020,

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ ऐव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर, वन प्रभाग, बागेश्वर।

02 उपजिलाधिकारी, कपकोट।

~~03~~– अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0–2, पी0एम0जी0एस0वाई0 कपकोट, जनपद बागेश्वर।

04– तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित/प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संम्बन्धित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

20/02/2020

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

श्री विनय JE PMGSY
अनुरूप कार्यवाही करें।
26/2/2020
EE

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
क्षेत्र–कपकोट (बागेश्वर)

प्रपत्र– 2.10

परियोजना का नाम–जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेडा मोटर मार्ग निमार्ण लम्बाई 11.250 कि0मी0 का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हे कि प्रधानंमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफलीकमेडा मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 6.287 है0 के मध्ये दुगनी अवनत भूमि 12.574 है0 चिन्हित बदियाकोट सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है ,जो कि सर्वदा उपयुक्त है।

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0 एम0 जी0 ... वाई0
क्षेत्र–कपकोट (...श्वर)